

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/41

दायर दिनांक 27/2/23

उनवान- रामकुंवरीबाई पुत्री कनीराम भील नि० बोलियाबुर्जुग तहसील सुनेल

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड़ राज०

धारा 136 एल.आर.एक्ट

-: आदेश :- दिनांक 27/02/2023

प्रार्थीया रामकुंवरीबाई पुत्री कनीराम भील नि० बोलियाबुर्जुग तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुनेल की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम करमाखेडी पटवार मण्डल हेमड़ा तहसील सुनेल की जमाबन्दी सम्वत 2072-75 मे खाता संख्या 28 व 29 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थीया का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम करमाखेडी पटवार मण्डल हेमड़ा तहसील सुनेल	28 व 29	कवरीबाई	रामकुंवरीबाई

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

जिला झालावाड़ (राज०)

दिनांक 27/2/23

क्रमांक:- राजस्व/2023/41

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

1. तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज०)

